अवमानना प्रकरण /कोर्ट केस/ स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-I/1200532/2026पी/छः-पु-6-2025-6-6099/330/2023

प्रेषक,

परमात्मा यादव
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,
लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 **लखनऊः दिनांक 09-01-2026**

विषय: मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-1113/2012 श्रीमती उर्मिला देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में। (असाधारण पेंशन प्रकरण)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-चार-396-1993 दिनांक 24.07.2025 एवं 18.08.2025 के क्रम में निर्गत शासन के पत्र संख्या-2163पी/छः-पु-6-2025-6-6099/330/2023 दिनांक 30.09.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि रिट याचिका संख्या-1113/2012 श्रीमती उर्मिला देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-31.01.2024 एवं अवमानना याचिका संख्या-318/2025 उर्मिला देवी बनाम श्री संजीव गुप्ता, सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.07.2025 के समादर में असाधारण पेंशन स्वीकृति के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-चार-396-1994(रिट-CID) दिनांक 18.08.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि "-------स्व0 मुख्य आरक्षी तिलक चन्द्र की मृत्यु की परिस्थितियाँ उ0 प्र0 पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली 1961 के (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 एवं उ0प्र0 पुलिस (असाधारण पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2015 में निहित प्राविधानों तथा असाधारण पेंशन हेतु योजित स्पेशल अपील संख्या: 33/2019 ज्ञानवती देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व 05 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24-10-2019 के सन्दर्भ में निर्गत शासनादेश दिनांकः 18-12-2019 से सम्बंधित नहीं है।"

उक्त के क्रम में शासन के पत्र संख्या-2163पी/छः-पु-6-2025-6-6099/330/2023 दिनांक 30.09.2025 द्वारा स्व0 तिलक चन्द्र, मुख्य आरक्षी की आश्रिता पत्नी श्रीमती उर्मिला देवी को नियमानुसार पेंशन प्रदान किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

3- सूच्य है कि मा0 उच्च न्यायलय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-1113/2012 श्रीमती उर्मिला देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-31.01.2024 का आपरेटिव अंश निम्नलिखित है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

----------12. In view of the facts and circumstances of the case and the discussions made hereinabove, I am of the opinion that when an employee dies during course of discharge of his/her official duties, then he/she is covered by Rule 3 of the Rules, 1961, as amended in the year 1975, hence, the petitioner in the present case is entitled for benefit of Rule 3 of the Rules, 1961, as amended in the year 1975 as her husband had died while discharging official duties.

13. Accordingly, the present writ petition is allowed.

14. The impugned orders dated 01.09.1997 & 18.03.2008 by which the claim of the petitioner for extraordinary pension has been rejected are hereby quashed.

15. Respondents are directed to compute the extraordinary pensionary benefits payable to the petitioner under Rule 3 of the Uttar Pradesh Police (Extraordinary Pension) Rules, 1961, as amended in the year 1975 and pay the same without any further delay within a period of three months from the date of production/receipt of certified copy of this order.

16. If the same is not paid within the above-mentioned period, the respondents are liable to pay the simple interest @ 7 per cent per annum after expiry of the aforementioned period and till the actual payment is made.

Order Date:- 31.1.2024

4- रिट याचिका संख्या-1113/2012 श्रीमती उर्मिला देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-31.01.2024 विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील (डिफेक्टिव) संख्या-366/2024 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 12.07.2024 निम्नवत पारित किया गया है:-

1. A week's time is allowed to the respondent to file objections to the delay condonation application.
2. List thereafter as fresh.

उक्त विशेष अपील में सम्प्रति कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं और विशेष अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष सम्प्रति लम्बित है।

5- प्रकरण में रिट याचिका संख्या-1113/2012 श्रीमती उर्मिला देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-31.01.2024 के अनुपालन हेतु याची द्वारा अवमानना याचिका संख्या-318/2025 उर्मिला देवी बनाम श्री संजीव गुप्ता, सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन व अन्य योजित की गयी है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.11.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैः-

Learned Standing Counsel on the basis of instructions received from respondent nos. 5-Superintendet of Police (Establishment) and respondent no. 6-Finance Controller, U.P. Police, Prayagraj has submitted that respondent nos. 5 and 6 have forwarded positive recommendation in favour of the applicant to the State Government for its approval and

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

for the purposes of payment but the same has been turned down by the State Government by its order dated 30.07.2025. Copy of which has been provided to this Court during the course of argument, which is taken on record. Photocopy of the same has also been given to the learned counsel for the applicant.

In view of the aforesaid, issue notice to respondent no. 1 to explain as to why contempt proceedings be not initiated against him for alleged willful disobedience of the order dated 31.01.2024 passed in Writ A No. 1113 of 2012.

Steps be taken within seven working days.

List this case in the week commencing 05.01.2026 amongst top ten cases. Office is directed to submit service report by the next date of listing.

6- इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-2163पी/छः-पु-6-2025-6-6099/330/2023 दिनांक 30.09.2025 को अवक्रमित करते हुए, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-1113/2012 श्रीमती उर्मिला देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक- 31.01.2024 के अनुपालन में स्व0 तिलक चन्द्र, मुख्य आरक्षी, मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ की आश्रित पत्नी श्रीमती उर्मिला देवी के पक्ष में श्री राज्यपाल महोदय, असाधारण पेंशन तथा उपादान निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) उक्त अनुपालन, प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष लम्बित विशेष अपील (डिफेक्टिव)संख्या 366/2024 में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

(2) श्रीमती उर्मिला देवी को दिनांक 23.09.1993 से स्व0 मुख्य आरक्षी तिलक चन्द्र की अधिवर्षता आयु अथवा श्रीमती उर्मिला देवी के पुनर्विवाह या मृत्यु की तिथि में से जो भी पहले हो तक असाधारण पेंशन देय होगी। तदोपरान्त पारिवारिक पेंशन देय है।

(3) पुलिस मुख्यालय द्वारा पारिवारिक पेंशन भुगतानादेश संख्या-POLICE-XII/2350/P-26860/97 दिनांक 24.07.1997 द्वारा 23.09.1993 से स्वीकृत पारिवारिक पेंशन एवं उपादान का समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

(4) इस स्वीकृति आदेश को किसी अन्य प्रकरण में नजीर नहीं माना जायेगा।

(5) कृपया भुगतान का आदेश तत्काल निर्गत कर, कृत कार्यवाही से शासन को अविलम्ब अवगत कराते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

7- उक्त आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-स्व0 आरक्षी तिलक चन्द्र की चरित्र पंजिका (मूल रूप में वापस)

भवदीय,

(परमात्मा यादव)
उप सचिव।

संख्या एवं तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपर्युक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

1- श्री वी0के0 शाही, अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।

2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ को रिट याचिका संख्या-1113/2012 में उर्मिला देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.01.2024 एवं अवमाननावाद संख्या-318/2025 उर्मिला देवी बनाम श्री संजीव गुप्ता, सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.11.2025 के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराये जाने के आशय से प्रेषित।

3- श्री अशोक कुमार सिंह, वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय को उपर्युक्तानुसार इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में लम्बित विशेष अपील (डिफेक्टिव संख्या-366/2024 में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराये जाने हेतु विशेष प्रयास करते हुए मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित विशेष अपील में शीघ्र सुनवाई कराये जाने/विशेष अपील निस्तारित कराये जाने के सम्बन्ध में, उक्त विशेष अपील की पैरवी हेतु नामित श्री वी0के0 शाही, अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित कर प्राथमिकता पर समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

4- श्री गिरिजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक (अधि0), मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपर्युक्तानुसार इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में लम्बित विशेष अपील (डिफेक्टिव संख्या-366/2024 में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित किये जाने हेतु विशेष प्रयास करते हुए मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित विशेष अपील में शीघ्र सुनवाई कराये जाने/विशेष अपील निस्तारित कराये जाने के सम्बन्ध में, उक्त विशेष अपील की पैरवी हेतु नामित श्री वी0के0 शाही, अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित कर प्राथमिकता पर समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

5- पुलिस अधीक्षक, विधि प्रकोष्ठ, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को एक अतिरिक्त प्रति इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित कर्मी को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी स्व0 मुख्य आरक्षी तिलक चन्द्र, निवासी- डीएस-961/ई-2, सेक्टर जी, एलडीए कालोनी कानपुर रोड, लखनऊ-226012 को आदेश की प्रति तामील कराते हुए, प्राप्ति की रसीद शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6- पुलिस अधीक्षक, विधि प्रकोष्ठ, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

7- श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी स्व0 मुख्य आरक्षी तिलक चन्द्र, निवासी-डीएस-961/ई-2, सेक्टर जी, एलडीए कालोनी कानपुर रोड, लखनऊ-226012 (रजिस्टर्ड डाक)

8- गार्ड बुक।

आज्ञा से

परमात्मा यादव

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Filename:	बुलन्दशहर चोला
Directory:	C:\Users\DELL\Documents
Template:	C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:	
Subject:	
Author:	ajai
Keywords:	
Comments:	
Creation Date:	11/12/2014 4:35:00 PM
Change Number:	345
Last Saved On:	1/13/2026 5:16:00 PM
Last Saved By:	DELL
Total Editing Time:	4,079 Minutes
Last Printed On:	1/13/2026 5:17:00 PM

As of Last Complete Printing

Number of Pages:	4
Number of Words:	1,385 (approx.)
Number of Characters:	7,901 (approx.)